न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण –

1. जसपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. चन्द्रकंवर पत्नि उम्मेदसिंह
   सभी जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील नावां हाल कुचामन।

बनाम

प्रतिवादी –

1. गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. कैलाशकंवर पत्नि बजरंगसिंह
3. गिरधारीसिंह पुत्र बजरंगसिंह
4. विक्रमसिंह पुत्र बजरंगसिंह
5. सीमाकंवर पुत्री बजरंगसिंह
6. धापूकंवर पुत्री महावीरसिंह
7. दिपेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह
8. कानसिंह पुत्र महावीरसिंह
9. पुजा कंवर पुत्री महावीरसिंह
10. आनन्दसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
11. शिवराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
12. कमलेशकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीयान घाटवा।
13. उप पंजीयक नावां तहसील नावां हाल चितावा।
14. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां हाल कुचामन।

दावा बाबत इस्तकरार हक व खातेदारी अधिकारों की घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः 167/2021 निर्णय दिनांक :– 07.02.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 359, 399 रकबा 82 बीघा 15 बीस्वा व गत खसरा नं. 218, 218/1 कुल रकबा 14 बीघा 15 बीस्वा स्थित चली आ रही थी। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 एक ही खानदान के सदस्य है। एंव स्व. हरिसिंह के वंशज एवं वारिसान है [illegible] सजरा खानदान वाद पत्र में अंकित किया। ग्राम घाटवा के गत खसरा नं. 359, 399 के नवीन भू – प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नं. 863 रकबा 0.54 हैक्टर खसरा नं 734 रकबा 0.41 हैक्टर खसरा नं. 735 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा नं. 744 रकबा 0.93 हैक्टर, खसर नं. 745 रकबा 1.07 हैक्टर, कुल रकबा 2.84 हैक्टर कायम हुए। उपरोक्त भूमि में [illegible] हिस्सा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

तत्कालिन काबिज खातेदार स्व. हरिसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत का सहखातेदारी मे दर्ज चला आ रहा था स्व. हरिसिंहजी के पांच पुत्र संतान जन्मी जो जोगसिंह, लिछमणसिंह, भोपालसिंह, कल्याणसिंह, उम्मेदसिंह थे उसमें भोपालसिंह भागीरथसिंह के यहां गोदनामा बताकर खातेदारी दर्ज करा दी गयी जबकि उम्मेदसिंह जो की वादी के पति व पिता थे वह अपने जीवन काल में स्व. भागीरथसिंह जी के यहा खाले चले गये थे जबकि भागीरथसिंह जी नाम की जमीन भोपालसिंह पुत्र हरिसिंह के नाम से भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि भागीरथसिंह के काबिज खातेदार अपने जीवन काल में ही उम्मेदसिंह जी जो कि वादी के पिताजी थे उनको खोले गोदी पुत्र रख लिया था वह दर्ज नही हुआ। उनकी पत्नि फेफकंवर की 20 वर्ष सेवा की व मोसर भी किया। इसके हक की जमीन 50 वर्षो से कब्जे में है व खुद ही खेती करते है। उपरोक्त भूमि में तत्कालिन काबिज खातेदार भागीरथसिंह के स्थान पर वादी के पिता स्व. उम्मेदसिंह व उसके बाद हम वादीगणो का नाम दर्ज होना चाहिए था जबकि भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह ने अपने नाम दर्ज करा ली व उक्त पैतृक भूमि अपने जायन्दा पिता हरिसिंह जी कि भूमि भी हिस्सा मांग रहे है। इस प्रकार उनको दोनो जगह हिस्सा नही मिल सकता है अगर गोद जाने का कहकर आये है तो गोदी पिता से सम्पति प्राप्त कर सकता है नही तो अपने पिता की सम्पति प्राप्त की जा सकती है एक ही व्यक्ति को दो जगह सम्पति प्राप्त नही हो सकती है। इस प्रकार उक्त भूमि में स्व. भागीरथसिंह की सम्पूर्ण हिस्से में उनके स्थान पर उम्मेदसिंह के वारीसानो का नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। हम वादीगणो को उक्त भूमि में न तो जाईन्दा पिता की सम्पति मे से हिस्सा प्राप्त हुआ न ही गोदी पिता से भी वादीगण के पिताजी को कही पर भी हिस्सा प्राप्त नही हुआ। उपरोक्त भूमि में हमे किसी प्रकार का हक प्राप्त नही हुआ जबकि उपरोक्त भूमि हम वादीगणो कि पैतृक हक अधिकारो की भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें जन्म से ही By Birth हक अधिकार चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि मे से भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर हम वादीगणो को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे जो कि हमारी पैतृक हक अधिकारो की चली आ रही है जबकि भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिह का नाम खातेदारी में से हटाया जाने की आवश्यकता है। उक्त भूमि में से हम हमारे हक हिस्से से महरूम रखा गया है जबकि उक्त भूमि में हमारा पैतृक हक अधिकारो की रही है जिसमें हमारी खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 सहहिस्सेदार होने से आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी सं. 13 उप पंजीयक व प्रतिवादी सं. 14 भूमिधारी होने से औपचारीक पक्षकार बनाये गये है। राजस्व ग्राम घाटवा के गत खसरा नं. 359, 399 के नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नं. 863 रकबा 10.54 हैक्टर खसरा नं 734 रकबा 0.41 हैक्टर खसरा नं. 735 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा नं. 744 रकबा 0.93 हैक्टर, खसर नं. 745 रकबा 1.07 हैक्टर, कुल रकबा 2.84 हैक्टर मे से भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिह के स्थान पर वादीगणो व प्रतिवादी सं. 10 ता 12 को खातेदार घोषित किया जावे इस आश्य की काबिज खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के सम्मन पंजीकृत डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी जसपालसिंह, पी.डब्ल्यू.2 सज्जनसिंह, पी.डब्ल्यू.3 विष्णुकुमार के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नामांतकरण संख्या 704 से 514 की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो प्रदर्श पी1, प्रदर्श पी2 है व मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो प्रदर्श पी3 है, खतौनी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (डीडवाना-कुचामन)

2008 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी4 है, जमाबंदी संवत 2046 से 2065 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी5 है, जमाबंदी संवत 2042 से 2045 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी6 है, जमाबंदी संवत 2010 से 2013 प्रदर्श पी7, जमाबंदी संवत 2018 से 2021 प्रदर्श पी8, जमाबंदी संवत 2022 से 2025 प्रदर्श पी9, जमाबंदी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श पी10, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी11, जमाबंदी संवत 2037 से 2040 प्रदर्श पी12, जमाबंदी संवत 2010 से 2013 प्रदर्श पी13, जमाबंदी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श पी14 एवं नामांतकरण संख्या 705 प्रदर्श पी15 पेश की। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में राजस्व ग्राम घाटवा के गत खसरा नम्बर 359 रकबा 65 बीघा 2 बिस्वा भूमि में गणपतसिंह भागीरथसिंह लादुसिंह हरिसिंह पेमसिंह सवाईसिंह पि. रतनसिंह 1/2 सुगनसिंह मुकनसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत 1/2 लाडखानी सा. देह दर्ज है तथा गत खसरा नम्बर 399 रकबा 17 बिघा 11 बिस्वा भूमि में सुगनसिंह वगैरह खाता न. 111 1/2 गणपतसिंह भागीरथसिंह लादुसिंह हरिसिंह पेमसिंह सवाईसिंह पि. रतनसिंह 1/2 राजूपत सा. देह दर्ज है। तत्पश्चात प्रदर्श पी2 नामांतकरण संख्या 514 में ''भागीरथसिंह गणपतसिंह लादूसिंह प्रेमसिंह सवाईसिंह फौत मगनसिंह पुत्र लादूसिंह भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह मालसिंह पुत्र प्रेमसिंह एवं भागीरथसिंह व सवाईसिंह नाऔलाद होने से उनके भाई हरिसिंह व मृतक भाईयों के पुत्रों के नाम ना.करण खोला गया'' अंकन किया हुआ है। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में भागीरथसिंह के स्थान पर भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह अंकन है। प्रदर्श पी2 नामांतकरण संख्या 704 में ''उत्तराधिकार हरिसिंह पुत्र रतनसिंह का उमेदसिंह जायन्दा पुत्र है जो अपने आपको भागीरथसिंह के खोले जाना बताया है। अतः उम्मेदसिंह का नाम दर्ज नहीं किया गया व हरिसिंह पुत्र रतनसिंह के फौत होने पर हरिसिंह के जायन्दे पुत्रान जोगसिंह, लिछमणसिंह, भोपालसिंह, कल्याणसिंह का नाम दर्ज किया गया।'' अंकन है।

वाद पत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार हरिसिंह पुत्र रतनसिंह के जोगसिंह, लिछमणसिंह, भोपालसिंह, कल्याणसिंह व उम्मेदसिंह संताने हुई तथा हरिसिंह का भाई भागीरथसिंह नाऔलाद फौत हो गया। हरिसिंह पुत्र रतनसिंह की फौत होने पर हरिसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह को भागीरथसिंह का खोले पुत्र होने से हरिसिंह का फौतगी नामांतकरण में उम्मेदसिंह के नाम दर्ज नहीं किया गया तथा भागीरथसिंह के फौत होने पर उम्मेदसिंह के बजाय उम्मेदसिंह के भाई भोपालसिंह के नाम भागीरथसिंह के स्थान पर खोतदारी दर्ज कर दी गई। साथ ही हरिसिंह पुत्र रतनसिंह की फौत होने पर हरिसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह को भागीरथसिंह के खोले पुत्र बताते हुए हरिसिंह के फौतगी नामांतकरण में उम्मेदसिंह के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार हरिसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह को हरिसिंह के हक हिस्से में से खातेदारी प्राप्त नहीं हुई ना ही हरिसिंह के भाई भागीरथसिंह के हक हिस्से में से खातेदारी प्राप्त हुई। हरिसिंह के पुत्र भोपालसिंह को हरिसिंह के भाई भागीरथसिंह के सम्पूर्ण हिस्से की तथा हरिसिंह के [illegible] में से भी खातेदारी प्राप्त हुई जबकि हरिसिंह का पुत्र उम्मेदसिंह हरिसिंह के भाई भागीरथसिंह का खोले पुत्र होने से भागीरथसिंह के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की उम्मेदसिंह खातेदारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी था। गत खसरा नम्बर 359 के नवीन खसरा नम्बर 734, 735, 863 कायम हुए तथा गत खसरा नम्बर 399 के नवीन खसरा नम्बर 744, 745 कायम हुए। इस प्रकार राजस्व ग्राम घाटवा के नवीन खसरा नम्बर 863 रकबा 10.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 734 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.93 हैक्टर ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 745 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 2.84 हैक्टर भूमि में भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को खोतदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम घाटवा के नवीन खसरा नम्बर 863 रकबा 10.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 734 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.93 हैक्टर , खसरा नम्बर 745 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 2.84 हैक्टर भूमि में खातेदार भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह के नाम दर्ज 1/12 हिस्से के स्थान पर वादी जसपालसिंह को 1/36 हिस्से का, वादीया चंन्द्रकंवर को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 आनन्दसिंह को 1/108 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 11 शिवराजसिंह को 1/108 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 12 कमलेशकंवर को 1/108 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण —

1. जसपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. चन्द्रकंवर पत्नि उम्मेदसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील नावां हाल कुचामन।

बनाम

प्रतिवादी —

1. गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. कैलाशकंवर पत्नि बजरंगसिंह
3. गिरधारीसिंह पुत्र बजरंगसिंह
4. विक्रमसिंह पुत्र बजरंगसिंह
5. सीमाकंवर पुत्री बजरंगसिंह
6. धापूकंवर पुत्री महावीरसिंह
7. दिपेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह
8. कानसिंह पुत्र महावीरसिंह
9. पुजा कंवर पुत्री महावीरसिंह
10. आनन्दसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
11. शिवराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
12. कमलेशकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीयान घाटवा।
13. उप पंजीयक नावां तहसील नावां हाल चितावा।
14. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां हाल कुचामन।

मुकदमां नम्बर :— 167/2021 **निर्णय दिनांक :—** 07.02.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि:—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम घाटवा के नवीन खसरा नम्बर 863 रकबा 10.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 734 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.93 हैक्टर , खसरा नम्बर 745 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 2.84 हैक्टर भूमि में खातेदार भोपालसिंह पुत्र भागीरथसिंह के नाम दर्ज 1/12 हिस्से के स्थान पर वादी जसपालसिंह को 1/36 हिस्से का, वादीया चन्द्रकंवर को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 आनन्दसिंह को 1/108 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 11 शिवराजसिंह को 1/108 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 12 कमलेशकंवर को 1/108 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसबूत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा	NIL	NIL
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान	NIL	NIL		NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested